सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 10/2016 अपील (RCMS-00106/2016)
पंजीयन दिनांक – 10.10.2017
निर्णय दिनांक – 08.05.2018

1. श्री कैलाशचन्द्र पिता श्री बंशीलाल पुरोहित, निवासी 109, महावीर नगर, साईफन के आगे, बेदला, उदयपुर हाल निवासी जावर माईन्स।

– अपीलान्ट

बनाम

1. नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर, उदयपुर जरिये सचिव।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. श्री बी.एल. पालीवाल – वकील अपीलान्ट
2. श्री एन.एस.चुण्डावत – वकील रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 91–ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 123/2010 दिनांक 10.05.2012

निर्णय

दिनांक 08.05.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 91–ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 निर्णय न्यायालय तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर प्रकरण संख्या 123/2010 दिनांक 10.05.2012 के विरुद्ध पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बड़गावं के आराजी नम्बर 1154 व 1130 में स्थित भुखण्ड संख्या 109 पर निर्माण कार्य 2246 वर्गफीट भुमि पर मकान निर्माण कराया जा रहा था। निर्माण बिना सेट बैक छोड़ निर्माण स्वीकृति के विपरीत बनाया जा रहा था। न्यास के पटवारी के पंचनामा के आधार पर न्यास द्वारा धारा 91–ए अन्तर्गत वाद दर्ज कर अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उक्त नवीन निर्माण न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए के तहत अवैध होने से इसे

24 घण्टे की अवधि में स्वतः हटा लेने अन्यथा बाद मयाद गुजरने के कभी भी ध्वस्त किये जाने का आदेश दिनांक 10.05.2012 पारित किया गया। उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 30.04.2018 को सूनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में इस महत्वपूर्ण तथ्य में भारी गलती की है कि अपीलार्थी अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड का उसके आवासीय प्रयोजनार्थ एवं उपयोग हेतु जायज निर्माण कर उसकी एवं उसके परिवार की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में ही किया गया है, न कि इसके अलावा अन्य किसी भी रूपेण उसकी कभी भी अन्य मंशा नहीं रही है कि वह नियमों के विपरित अथवा उसके आसपास निवासरत व्यक्तियों को नुकसान पंहुचावें। आलोच्य आदेश अपीलार्थी के परोक्ष में एकतरफा पारित हुआ है, जिसकी मुझे कोई जानकारी पूर्व में किसी प्रकार से नहीं थी। न्यास द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ करने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.12.2010 को उपस्थिति देकर अपना पक्ष रखा गया। अपीलान्ट की नोकरी जावरमाईन्स में होकर वही रहने से वह पुनः न्यास के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अपीलान्ट के मकान के आसपास के लोगों द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ कोई आदेश होने के बारे में बताने पर अपीलान्ट द्वारा न्यास से दिनांक 20.09.2016 को आलोच्य आदेश की प्रति प्राप्त की गई। अपीलान्ट द्वारा धारा–5 मयाद अधिनियम अन्तर्गत भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट के बहस में यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने काफी मेहनत, मजदूरी कर अपने परिवार की जायज आवश्यकताओं की पूर्ति में काफी लागत लगाकर निर्माण में खर्च किया है, यदि आलोच्य आदेश की पालना में किसी भी कारण अपीलान्ट के मकान को तोड़ दिया गया तो उक्त अवस्था में अपीलार्थी एवं उसके परिवार को अशोधनीय मानसिक क्षति एवं संताप होगा। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तथा उसके परोक्ष में समस्त कार्यवाही होकर ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिससे अपीलान्ट समुचित बचाव हेतु वंचित हो गया तथा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसे स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम बड़गावं के आराजी

नम्बर 1154 व 1130 में स्थित भुखण्ड संख्या 109 पर निर्माण कार्य 2246 वर्गफीट भुमि पर बिना सेट बैक छोड़ किये अतिक्रमण/अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश पारित किये गये है। इस सम्बन्ध में न्यास पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भी अपीलान्ट का उक्त निर्माण न्यास अधिनियम–1959 की धारा 91–ए के तहत अवैध होने से ध्वस्त/विध्वशं योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने के आदेश किये जाने बाबत अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं सम्बन्धित अभिलेख का गहनंता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट द्वारा राजस्व ग्राम बड़गावं के आराजी नम्बर 1154 व 1130 में स्थित भुखण्ड संख्या 109 पर निर्माण कार्य 2246 वर्गफीट भुमि पर बिना सेट बैक छोड़ किये अतिक्रमण/अवैध निर्माण कर लिया है, उक्त निर्माण न्यास अधिनियम 1959 की धारा 91–ए के तहत अवैध होने से ध्वस्त/विध्वंस योग्य है। इस सम्बन्ध में पटवारी से प्राप्त रिपोर्ट भी अपीलान्ट द्वारा किये गये अवैध निर्माण को स्पष्ट करती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2012 में कोई विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है। जिससे हम उक्त आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। तहसीलदार, नगर विकास प्रन्यास द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर